[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 12/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 03 फरवरी 2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतदवारा अधिसूचना सं. 17/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.11.2017, का.आ.3745 (अ) दिनांक 24.11.2017 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

उपरोक्त अधिसूचना में मौजूदा शब्दों "न्हावा शेवा-I" को "न्हावा शेवा-V" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-18/2017-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्द्यतन हेतू प्रेषित:-

1. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद को उनके पत्र सं. VIII/26/38/2008-HRU दिनांक 16.01.2020 के संदर्भ में और इस अनुरोध के साथ कि वह कारण बताओ नोटिसों दिनांक 05.06.2009 और 14.10.2010 के सभी नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के विषय मे सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वह केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।
2. आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि वह इस अधिसूचना के अंतर्गत आए कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस F. No. VIII/26/38/2008-HRU दिनांक 05.06.2009, दिनांक 16.01.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय का न्याय निर्णयन साथ साथ करें।
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़।